भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल 02

Phone : 2661263,2737446 **Fax:** 2661263 **Website:** bsgmp.net **E_mail:** bsgmadhyapradesh@gmail.com

क्र0/3951/रा0मु0/प्रशि.स्का./2016 भोपाल, दिनांक 6/10/2016

प्रति,

1–सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड)
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश
संभागीय कार्यालय ....।

2– जिला संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड)
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश
जिला कार्यालय ....।

विषयः– जिला/संभाग स्तरीय युवा वयस्क प्रशिक्षण शिविरों के संबंध मे।

संदर्भः– राज्य मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक दिनांक 04.10.2016 मे दिये गये निर्देशानुसार

1–उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भ में लेख है कि आपके द्वारा जिला/संभाग स्तर पर जो शिविर आयोजित किये जाते है शिविर प्रारंभ दिनांक को प्रथम दिवस शाम 05.00 बजे शिविर संचालक का दायित्व होगा कि वह शिविर में उपस्थित प्रतिभागियों की जानकारी राज्य सचिव एवं राज्य प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट/गाइड को दूरभाष से देना अनिवार्य होगा। आप शिविर संचालक को निर्देशित करे।

2–संचालक मंडल का 01 दिवस पूर्व शिविर स्थल पर उपस्थिति अनिवार्य होगी एवं शिविर समापन के 01 दिवस बाद शिविर का पूर्ण प्रतिवेदन एवं आय–व्यय हिसाब तैयार कर संबंधित जिला/संभाग में जमा कर राज्य मुख्यालय को सूचित करेगे। संभागीय मुख्यालय 15 दिवस के भीतर प्रतिवेदन राज्य मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करेगे। जिला/संभाग में आयोजित युवा/वयस्क शिविरो में प्राप्त विकास+विशेष शुल्क किसी भी स्थिति में शिविर में व्यय नही किया जावे।

3–राज्य शिक्षा केन्द्र के द्वारा आयोजित किये जाने वाले वयस्क शिविरों के (बेसिक/एडवांस) के प्रस्ताव, तिथि, स्थान, संचालक मंडल (माह दिसम्बर 2016) तक सम्पन्न किये जाने है। अतः शिविर प्रस्ताव इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से भेजे।

4–माह जुलाई अगस्त सितम्बर 2016 मे आयोजित वयस्क शिविरो के प्रतिवेदन सूची, राशि, आय–व्यय प्रत्रक सहित एवं आपके जिले में आयोजित सेल्फ लर्निंग माडूलर शिविरो का प्रतिवेदन सूची राशि पृथक से दिनांक 15.10.2016 तक अनिवार्य रूप से राज्य मुख्यालय भोपाल को भेजे। यदि आपके द्वारा जानकारी नही भेजी जाती है तो आपके विरूद्व अनुशासनात्मक एवं वेतन रोकने संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

इस पत्र को प्राथमिकता देवे।

नोटः– बिन्दु क्रमांक 04 की जानकारी तत्काल ई–मेल द्वारा भेजकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करे।

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड
मध्यप्रदेश

पृ0क्र./3952/रा0मु0/प्रशि.स्का. /2016 भोपाल,दिनांक 6/10/2016

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. राज्य संगठन/प्रशिक्षण आयुक्त (स्का/गा)/लेखा कक्ष राज्य मुख्यालय भोपाल।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला मुख्य आयुक्त म.प्र.।
3. समस्त जिला प्रशिक्षण आयुक्त (स्का/गा) भारत स्काउट एवं गाइड जिला संघ म.प्र.।
4. समस्त लीडर ट्रेनर/सहायक लीडर ट्रेनर (स्का/गा) भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.